



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 07.12.2023

दिनांक 06/07.12.2023 को रात्रि थाना बंधरा 01, बाजारखाला 01, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना गोसाईगंज- दिनांक 07.12.2023 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि श्री जय जयराम वर्मा पुत्र भिखारी निवासी ग्राम काजीखेड़ा थाना गोसाईगंज लखनऊ ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दिया कि आज दिनांक 07.12.2023 को सुबह उसके पुत्र प्रभाकर उम्र करीब 24 वर्ष ने पेड़ में फांसी लगा ली है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर एस0आई0 श्री गुड्डू प्रसाद मो0नं0- 9838086918 थाना गोसाईगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक प्रभाकर वर्मा उर्फ नन्हा उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र श्री जय जयराम वर्मा निवासी ग्राम काजीखेड़ा थाना गोसाईगंज लखनऊ द्वारा घर के सामने स्थित बाग में चिलबिल के पेड़ में नॉयलान की रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के एक माह का पुत्र है। मृतक कैटरिंग का काम करता था।

थाना सैरपुर-दिनांक 07.12.2023 को थाना सैरपुर द्वारा बताया गया कि वादी श्री अमन कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री राममोहन श्रीवास्तव निवासी बीआर पैलेस के पीछे अल्लूनगर डिगुरिया थाना सैरपुर लखनऊ ने थाना सैरपुर पर सूचना दिया कि दिनांक 05/12/2023 को रात्रि समय करीब 08.00 बजे से 12.30 बजे तक वादी अपने घर पर नहीं था उस समय वादी के घर का ताला तोड़कर अंदर कमरे के अंदर अलमारी का ताला तोड़कर सोने व चांदी के कीमती जेवरात व 4000/- रुपये नगद को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना सैरपुर पर मु0अ0सं0- 116/2023 धारा- 380/457 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना सरोजनीनगर-दिनांक 07.12.2023 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री शुभम श्रीवास्तव पुत्र श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव निवासी जानकीनगर गोण्डा हाल पता-03 नं0 बगिया अमौसी के पास थाना सरोजनीनगर लखनऊ ने थाना सरोजनीनगर पर सूचना दिया कि दिनांक 06/12/2023 को समय करीब 06.30 बजे सायं वादी अपने ऑफिस (एसएएस हंडई कानपुर रोड बगीचा अमौसी के पास) में था, तभी विपिन कुमार यादव ने मिलने के बहाने ऑफिस के बाहर बुलाया। वादी के बाहर मिलने आया तो विपिन गालियां देने लगा वादी द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो विपक्षी विपिन के साथ आए 10-15 अज्ञात लड़के वादी को मारने लगे और लात घूसे व डण्डे से वादी पर हमला कर दिया। जिससे वादी को सिर व शरीर में काफी चोटें आई हैं। इस सूचना पर थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0- 540/2023 धारा- 147/323/352/504 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना चिनहट-दिनांक 07.12.2023 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादी श्री राणा प्रताप सिंह पुत्र स्व0 राम पलट सिंह निवासी ग्रा0 ताहिरपुर पो0 साफीपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि दिनांक 05/12/2023 को वादी के भांजे की शादी कालका रीवेल इवेंट लॉन में थी, जहाँ बारातियों के रूकने के लिए कई कमरे बुक थे। तीसरे तल पर कमरा नं0-301 में वादी की बहन की रूकी थी। वादी की बहन दिनांक 06.12.2023 को सुबह समय करीब 07.00 बजे किसी आवश्यक कार्य से कमरे के बाहर गई थी कि उसी बीच एक व्यक्ति जो कि लाल रंग की टी-शर्ट व सफेद रंग टोपी लगाया (सीसीटीवी फुटेज देखने पर) था, ने वादी की बहन का मोबाइल फोन व पर्स जिसमें सोने चाँदी के कीमती जेवरात व एक लाख दस हजार रुपये नगद व दो साड़ी चोरी कर लिया। इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0-524/2023 धारा-380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।